<table>
<tr>
<th>आदेश की कम संख्या और तारीख</th>
<th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

शस्त्र वाद सं0 122/14</th>
<th>आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ</th>
</tr>
<tr>
<td>13/1/2015</td>
<td>
सारण समाहरणालय, छपरा।
न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।
जिला विधि प्रशाखा
ओम प्रकाश सिंह, पिता–स्व0 नन्द किशोर सिंह, ग्राम+थाना–तरैया, जिला–सारण
आदेश
प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2930/गो0 दिनांक 3.9.12 एवं 909/गो0 दिनांक 24.2.14 के द्वारा आवेदक ओम प्रकाश सिंह, पिता–स्व0 नन्द किशोर सिंह, ग्राम+थाना–तरैया, जिला–सारण का रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच प्रतिवेदन के उपरान्त आरम्भ किया गया है।
दिनांक 9.12.14 को आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी तथा अभिलेख में संधारित सभी जॉच प्रतिवेदनों एवं कागजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।
शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता के संदर्भ में सुनवाई के कम में आवेदक के द्वारा बतलाया गया कि वे डीजल पेट्रोल पम्प के व्यवसायी हैं। इन्हें कारोबार हेतु बाहर आना–जाना पड़ता है। इन्हें माओवादियों के द्वारा लेवी हेतु धमकी दिया गया है। भाई की वजह से इनके द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने की बात बतायी गयी। आवेदक के द्वारा आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए उन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2930/गो0 दिनांक 3.9.12 एवं 909/गो0 दिनांक 24.2.14 के द्वारा थानाध्यक्ष, तरैया के प्रतिवेदन (ज्ञापांक डी.आर. 996 दिनांक 11.6.12 एवं डी.आर. 185 दिनांक 9.2.14 के द्वारा प्रेषित) को संलग्न कर प्रेषित किया गया है। थानाध्यक्ष, तरैया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक डीजल पेट्रोल पम्प व्यवसायी है। इन्हें अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर आना–जाना पड़ता है।

पुलिस प्रतिवेदन में आवेदक के जानमाल पर खतरे से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं पाकर पुलिस अधीक्षक, सारण से पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग की गयी, जिसके प्रसंग में पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 186/गो0 दिनांक 9.1.15 के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा के पत्रांक 26 दिनांक 7.1.15 एवं थानाध्यक्ष, तरैया के ज्ञापांक 33 दिनांक 5.1.15 को संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

आज दिनांक 13.1.15 को आवेदक की उपस्थिति में पुनः सुनवाई की गयी एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार, आवेदक पेट्रोल, डीजल एवं किरासन तेल के विकेता है। पूर्व में इनके पेट्रोल पम्प पर लूट की घटना घटित हुई थी, जिससे संबंधित तरैया थाना कांड सं0 13/13 दर्ज है। वर्तमान में भी इनके जानमाल पर खतरे की आशंका है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका की वजह से शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने हेतु प्रेषित किया गया है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आवेदक के कथन

थानाध्यक्ष, तरैया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन एव अनुशंसा से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक ओम प्रकाश सिंह, पिता–स्व0 नन्द किशोर सिंह, ग्राम+थाना–तरैया, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 09 मु/15 दिनांक 17/1/15

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/1/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।